Date
Page No.

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992) के मूलत

Basic Features of Revied National Education Policy 1986 (1992)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किया गये संशोधन और उसकी कार्य-योजना, 1992 को समग्र रूप से देखा-समझा जाए तो स्पष्ट होगा कि इनसे (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के) मूल तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल विस्तार हुआ है वह भी कुछ ही मूल तत्वों का। यहाँ उस सबका क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत है —

मूल तत्व संख्या :—

(1) भाषा पर अधिकार — भाषा से अध्यापक को अध्येय भाषा की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए तभी वह अपने छात्रों को भाषा सिखाने में समर्थ होगा।

भाषा में दक्षता से तात्पर्य वस्तुतः चारों कौशलों के प्रयोग से संबंधित दक्षता है। अतः अध्यापक में निम्नलिखित कुशलताओं का होना आवश्यक है :—

(i) श्रवण एवं बोधन की कुशलता
(ii) भाषण कुशलता

Teacher's Signature..............

(iii) वाचन दक्षता
(iv) लेखन -कुशलता

(2) भाषा वैज्ञानिक कुशलता :- भाषा के अध्यापक के लिए भाषा वैज्ञानिक जानकारी का विशेष महत्त्व है। द्वितीय भाषा के संदर्भ में यह जानकारी विशेष रूप से आवश्यक हो जाती है। छात्रों को मातृभाषा तथा द्वितीय भाषा, दोनों का ही पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। भाषा के विभिन्न घटकों, यथा ध्वनि शब्द, अर्थ और संरचना का सैद्धांतिक ज्ञान की भाषा - विशेष विश्लेषण में सहायक होता है।

(3) भाषा के साहित्य तथा इतिहास का ज्ञान :- भाषा शिक्षण के लिए भाषा वैज्ञानिक का ज्ञान आवश्यक होता है, परंतु अध्येय भाषा से साहित्य तथा उसके ऐतिहासिक विकास -क्रम की भी जानकारी अपेक्षित है। विकास के क्रम में भाषा किन स्थितियों के बीच विकसित हुई है उसके साहित्य की क्या विशेषता है ? इन सबकी जानकारी भाषा के अध्यापक को होनी चाहिए।

(4) भाषाई संस्कृति की चेतना :- भाषा और चेतना परस्पर संबंधित है। भाषा के अध्यापक को भाषा और संस्कृति में अन्योन्याश्रित की जानकारी होनी चाहिए। संस्कृति

Teacher's Signature......................

के समझ के बिना भाषा को नहीं समझा जा सकता। इसके लिए अध्यापक को संस्कृति के आधार - भूत तत्वों, विचारों, परंपराओं, जीवन मूल्यों आदि की जानकारी होनी चाहिए।

(5) मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञाता :- अध्यापक का मुख्य कार्य शिक्षण है, यह छात्रों के सहयोग से ही सम्पादित होता है। उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना ही उसका मुख्य उद्देश्य है, अतः अध्यापक को छात्रों के मनोविज्ञान की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। कक्षा में अनुशासन स्थापित करने, छात्रों को सीखने के लिए उत्प्रेरित करने में शिक्षा - मनोविज्ञान की जानकारी का महत्त्व सर्वमान्य है।

(6) शिक्षण - विधियों एवं शैक्षिक तकनीकों की जानकारी शिक्षण कार्य में संलग्न होने के नाते अध्यापक को शैक्षिक प्रक्रिया, शिक्षण विधियों एवं तकनीकों की समुचित जानकारी होनी चाहिए। अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को 1995 के स्थान पर 2000 के अन्त तक प्राप्त करने की घोषणा की गई है और 1 किलो मीटर की दूरी के अन्दर प्राथमिक विद्यालय और 2-3 किलोमी० की दूरी के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की योजना प्रस्तुत की गई है।

Teacher's Signature......................

(7) कर्तव्यनिष्ठा तथा अन्य मानवीय गुणों का विकास :- इसमें कार्य के प्रति निष्ठा दृढ़ निश्चय एवं लगन के साथ ही स्नेह सहानुभूति, उदारता तथा धैर्य का होना आवश्यक है। पहला संशोधन यह किया गया है कि +2 को स्कूली शिक्षा का अंग बनाया जाएगा। दूसरा संशोधन यह किया गया है कि +2 पर बालिकाओं और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को वाणिज्य, विज्ञान और व्यावसायिक धारा में लाने के लिए विशेष प्रयत्न किये जाएंगे। तीसरा संशोधन यह किया गया कि इस स्तर पर शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया जायेगा।

(8) राज्य सरकारों के कर्तव्य :-

6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश और उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। साथ ही कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ कोई भेद-भाव न हो इसमें केवल एक संशोधन किया गया है कि नये विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना केवल वहीं की जाएगी जहाँ बहुत आवश्यकता होगी।

मूल तत्व संख्या 9 से 21 तक में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

साफ जाहिर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में जो संशोधन 1992 में किये गये हैं औ

Teacher's Signature......................

उसके विस्तार भरे हुए हैं। अतः उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 मानना युक्ति संगत नहीं है, उसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ही कहना चाहिए।

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992) का मूल्यांकन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में 1992 में कोई विशेष बदलाव नहीं किये गये बल्कि विस्तार कर दिया गया है। अतः इसमें वही गुण दोष रहे जो उसके मूल रूप 1986 में थे। इनकी चर्चा हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के मूल्यांकन के अंतर्गत कर चुके हैं। 1992 में इसमें जो संशोधन किये गये हैं, उनमें से निम्नलिखित संशोधनों का प्रभाव आवश्य पड़ा है।

- 300 जनसंख्या वाले क्षेत्र के स्थान पर 200 जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक प्राथमिक स्कूल खोला जाएगा।

- 3 कि० मी० की दूरी के स्थान पर 2-3 किलो मी० की दूरी के अंदर-अंदर एक उच्च प्राथमिक स्कूल खोला जाएगा।

Page No.

• ब्लैक - बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में कम - से - कम दो बड़े कमरे के स्थान पर कम - से - कम तीन बड़े कमरों का निर्माण किया जाएगा और कम - से - कम दो शिक्षकों की नियुक्ति के स्थान पर तीन शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।

• ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्कूलों में भी लागू किया जायेगा।

• उच्च शिक्षा में विस्तार किया जायेगा और इसलिए खुली शिक्षा का विस्तार किया जायेगा और स्वतित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थाओं को मान्यता दी जायेगी।

——— × ——— × ———